"बिहार की बात, युवाओं के साथ"

बिहार युवाओं का प्रदेश है जहाँ 58% प्रतिशत (लगभग 6 करोड़) आबादी 25 से कम उम्र की है और 2026 तक बिहार पुरे भारत का सबसे युवा राज्य भी होगा जिसकी जनसंख्या की औसत उम्र लगभग 20 वर्ष होगी I हम यह भी जानते हैं की प्रदेश में ग्रामीण युवाओं की संख्या ज़्यादा हैं और उसमें भी अनुसूचित जाति(दलित एवं महादलित),जनजाति, पिछड़े, मुस्लिम एवं अन्य वंचित वर्ग के युवाओं की संख्या और भी अधिक है और अनेकों समस्याओं के बीच इनका वर्तमान और भविष्य दोनों प्रदेश की सरकारों के भरोसे टिका हुआ रहता है I हम युवाओं के वर्तमान और भविष्य की बुनियाद क्या होगी, युवाओं की सामाजिक जीवन कितना सुरक्षित और सम्मान जनक होगा ? तथा युवा पीढ़ी जो प्रदेश और देश के लिए महतवपूर्ण "जनसँख्या लाभांश" के तौर पर देखा जा रहा है, इन सारे युवाओं के लिए कितने अवसर सुनिश्चित हैं और इनके विकास या राजनितिक भागीदारी को कैसे बढाया जायेगा ? इसी परिकल्पना को केंद्रित करते हुए हम बिहार के युवा, समस्त नागरिकों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर "बिहार की बात,युवाओं के साथ" नाम से मांग पत्र/घोषणापत्र तैयार किया गया है। जिसमें प्रदेश के जाति, धर्म, भगौलिक, जेंडर, नि:शक्तता एवं यौनिकता के आधार पर वंचित एवं बहिष्कृत समुदाय के युवाओं की आवाज़ को अनेकों पार्टियो तक पहुंचाने के साथ साथ पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र में लाने का सामूहिक प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षा (प्री से पीएचडी तक की शिक्षा की अधिकार !)

- शिक्षा का दायरा बढ़ाते हुए प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा(प्री से पीएचडी) तक कि शिक्षा को अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए **"सुगम एवं शूल्कमुक्त" बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।**
- नई शिक्षा निति के तहत सभी वर्गो के युवाओं खासकर वंचित एवं बहिष्कृत समाज के विद्यार्थियों में मातृभाषा के साथ-साथ **अंग्रेजी भाषा, डिजिटल/कंप्यूटर शिक्षा की हुनर एवं प्रोत्साहन** सुनिश्चित करवाने हेतु अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में अनिवार्यता करने की पहल की जाय और इसके लिए रेमेडिअल शिक्षा में शामिल करना सुनिश्चित किया जाये I

- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य हाशियों पर रहने वाले विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा सुनिश्चित करवाने हेतु **"डॉ अम्बेडकर ओवरसीज स्कॉलरशिप"** शुरुआत किया जाए।

- प्रदेश की सभी **अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालयों को नवोदय की तर्ज़ पर पर्याप्त बजट के साथ संचालन सुनिश्चित किया जाए** क्योंकि इससे पुरे प्रदेश के दलित और आदिवासी समाज के बच्चों को एक नै दिशा और सहयोग मिलेगा !

- सभी वर्गों के **बच्चों और युवाओं को टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा तक पहुँच में बाधा को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी इन्टरनेट, स्मार्ट फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि माध्यमों तक पहुँच** को सुनिश्चित करने का प्रयास/प्रावधान होना चाहिए I

- प्रदेश के **सभी कल्याण छात्रावासों की संख्या बढाते हुए योजना में निहित सभी सुविधाओं को पर्याप्त रूप से लागु करते हुए उसके सामाजिक अंकेक्षण की निति लागू** की जाये I

- प्रदेश की **सभी विश्वविद्यालयों में "डॉ अम्बेडकर चेयर" को अनिवार्य बनाया जाए** एवं उसका सवैधानिक संचालन किया जाए जिससे दलित ,आदिवासी और वंचित समाज के मुद्दों पर शोध हो तथा युवाओं को शोध,अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाए।

- **प्राक्क प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रवृति के साथ उत्तम करियर गाइडेंस की सुविधा** उपलब्ध कराई जाये

- बंद हुए/बदले स्वरुप वाले **पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप (PMS) को पूर्व रूप से प्रभावी बनाने** और उसको फिर से लागू किया जाय ।

- **संविधानिक शिक्षा एवं अधिकार को स्कूली/कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रावधान** किया जाए ताकि सभी युवा सशक्त बन सके और अपने नेत्रत्व निर्माण के साथ साथ अपने विवेक पूर्ण निर्णय खुद ले पाए, जो देशहित में हो।

- प्रदेश में लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सत्र देरी से चलने और शिक्षकों के आभाव में पढ़ाई ना मात्र की होती है और कॉलेज में सिर्फ डिग्री के लिए ही युवा जाते हैं, अन्य किसी प्रकार की सुविधा और आगे बढ़ने के सभी रस्ते लगभग बंद है, ज़रूरी है की विश्वविद्यालयों पर उचित ध्यान दिया जाये और इन महाविद्यालयों को युवाओं के विकास का केंद्र बनाया जाये

<u>रोज़गार (प्रदेश के अन्दर भी और प्रदेश के बाहर भी, शिक्षा से जुड़े रोज़गारों में बढ़ोतरी)</u>

- प्रदेश के सभी **सरकारी विभागों में खाली पड़े नियुक्तियों को तत्काल रूप से भरा जाये**, खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों को I

- पलायन, महामारी बाढ़ जैसी आपदा से हर साल उत्पन्न बेरोज़गारी को ध्यान रखते हुए पलायन करने वाले मजदूरों के लिए **"प्रवासी मजदूर सेल" की स्थापना के साथ उनके हुनर विकास और प्रदेश में ही रोज़गार/स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था** पर जोर दिया जाये I

- बिहार सरकार द्वारा **वित्तपोषित सभी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं वंचित समाज की सवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु** आवश्यक कदम उठाए जाएं।

- सरकारी नौकरियों की भर्ती में लगने वाले **पंजीकरण शुल्क/फॉर्म भरने की फीस को समाप्त किया जाए** जिससे हर वर्ग के युवाओं खासकर वंचित एवं बहिष्कृत समुदाय की उचित हिस्सेदारी हो सके।

- प्रदेश के **सभी आईटीआई/पोलिटेक्निक/नर्सिंग विद्यालयों को अपग्रेड करते हुए रोजगार से जोड़ने की पहल की जाये** I साथ में प्रदेश की रोजगार कार्यालय प्रणाली को फिर से सुचारू रूप से चलाया जाये I

- **मानवीय गरिमा के विरुद्ध होने वाले पारंपरिक कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उन्हें सम्मान जनक बनाया जाए** और उक्त कार्य से पूर्व में जुड़े हुए समुदायों के युवा को मौका दिया जाए।

- औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्षेत्रों में **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए और समान कार्य, समान वेतन के लिए कानूनी नीति का कार्यान्वयन** और निगरानी हर स्तर पर सुनिश्चित करा जाये ।

- कार्य स्थल पर होने वाली **विभिन्न अनुचित भेदभावों को ख़तम करने के लिए और गरिमा और सम्मान जनक श्रम को सुनिश्ति करने के लिए उचित कानूनी संशोधन, बदलाव** और मूल्यांकन की पहल की जाये

(बजट अधिकार, हमारे विकास का आधार)

- **अनुसूचित जाति/जनजाति कंपोनेंट सब प्लान को इन्ही वर्गों के कल्याण के लिए ही पूर्णतः उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान** किया जाए।यद्यपि किसी वर्ष में वह राशि खर्च नहीं हो पाती है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु अग्रसारित कर दिया जाए।

- शासकीय **खरीदी में बहिष्कृत एवं वंचित वर्ग की इकाइयों से 30 प्रतिशत खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।** इस व्यवस्था से बडी संख्याओं में इन वर्गों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की प्रेरणा और एक उचित व्यवस्था निर्माण में सहयोग मिलेगा।

- बजट में **शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए।**

- आउटकम बजट पत्र, **खासकर SCP/TSP से जुडें आउटकम को अनिवार्य रूप से विधानसभा और विभागों द्वारा रिपोर्टिंग को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाये** I

- **SCSP/TSP एवं महिला बजट और उनसे जुड़े विकास के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाये**I

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थय कार्यक्रम **(RKSK) को सभी जिलों में लागू करते हुए उसमें निहित बजट के समुचित उपयोग और मोनिटरिंग** की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये I

- **सीएम रिलीफ फण्ड की तर्ज पर प्रत्येक पंचायत में महामारी और बाढ़ से आई आपदा से सीख लेते हुए पंचायत रिलीफ फंड का प्रावधान किया जाए** ,जिसमें सत्ता के सबसे निचले स्तर पर भी आपदा के दौरान लोगों की मदद करने हेतु आर्थिक तंगी से ना जूझना पड़े।

<u>स्वास्थ्य का अधिकार</u>

- प्रदेश में महामारी, बाढ़ जैसी आपदाओं के मद्दे नज़र, स्वास्थ्य सुविधाओं में ढाँचागत बदलाव एवं स्वास्थ्य योजनाओं में सामाजिक रूप से बहिष्कृत और हाशिये पर रह रहे समुदाय को चिन्हित करते हुए आपदा प्रबंधन को समावेशी और भेदभाव मुक्त बनाने की पहल होनी चाहिए।

- प्रदेश के **प्रत्येक जिलों में महिला शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना।**

- डाक्टर्ज़, नर्सेज़ और अन्य मेडिकल स्टाफ़ के स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग स्तर पर **सभी पदों को तुरंत भरा जाए और उचित प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाए।**

- उप स्वास्थ्य केंद्र को **पुनः मूल्यांकन के साथ पंचायत स्तर पर स्वास्थय सुविधाओं को पर्याप्त रूप से उपलभ करना** और हर केंद्र पर डॉक्टर के साथ-साथ उचित कर्मियों की बहाली सुनिश्चित की जाये I

- नेहरु युवा केंद्र या फिट इंडिया मूवमेंट के तहत के लिए **हर अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्ती में अनिवार्य रूप से युवा क्लब का निर्माण सुनिश्चित की जाए**, एवं खेल के मैदान एवं खेल उपकरणों की व्यवस्था की जाए।

- किशोर/किशोरी हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक या युवा क्लिनिक का स्थापन बिहार के सभी एच°पी°डी° में किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए हर क्लिनिक में एक प्रशिक्षित परामर्शदाता एवं डॉक्टर मौजूद हो।

- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थय कार्यक्रम (RKSK) एवं यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की प्रणालियों को और मज़बूत किया जाए** ताकि सभी युवाओं की, खासकर किशोरियों की कम उम्र में शादी पर रोकथाम के साथ साथ उनकी सुरक्षित सेवाओं जैसे गर्भ समापन, गर्भ निरोध, सैनिटेरी पैड, आदि तक कलंक मुक्त पहुँच मज़बूत हो।

<u>भेदभाव मुक्त-भय मुक्त- हिंसा मुक्त एवं समावेशी समाज का निर्माण</u>

- **युवा आयोग की स्थापना तथा युवाओं के सभी कार्यक्रमों और ज़रूरतों की सीधे रूप से जवाबदेही** सुनिश्चित की जाये .

- अनुसूचित जाति/जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के प्रावधान के साथ साथ न्याय की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाये I **SC/ST थानों में विशेष महिला पुलिस बलों (अनुसूचित जाति/जनजाति) की बहाली हो ताकि दलित एवं वंचित महिला हिंसा के केस की रिपोर्टिंग और न्याय प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जा सकें I**

- किशोर-किशोरियों एवं युवाओं के ऑनलाइन अत्याचार या शोषण के खिलाफ एक प्रभावी **"साइबर सुरक्षा कानून" का प्रावधान और इसका क्रियानवयन किया जाये** I

- प्रदेश में बढ़ रहे सांप्रदायिक माहौल/हिंसा, या अन्य किसी प्रकार के हिंसा जिससे समाज के सभी वर्गो के बिच वैमनस्यता बढती है, **इसके रोकथाम और इससे प्रभावित समुदायों के सुरक्षा, शान्ति बहाली के लिए उचित कानून का निर्माण और पहल की ज़रुरत होगी I**
- सरकार द्वारा संचालित शेल्टर होम/बाल गृह में "**सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)" अनिवार्य करते हुए इनके सञ्चालन की मोनिटरिंग सुनिश्चित की जाये I**

- महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति की सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों की तर्ज़ पर **24*7 केंद्रित हेल्पलाइन नंबर की शूरवात एवं सुचारू रूप से संचालन।**

- अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा एवं अन्य किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए "**एक वृहत जवाबदेही प्रोटोकॉल" को लागु करते हुए, हिंसा के मुद्दों पर कानूनी प्रशिक्षण के साथ साथ कांसेल्लिंग का भी प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये I** इसी के साथ साथ उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय का संवैधानिक प्रतिनिधित्व करवाने हेतु कानूनी प्रावधान किया जाए।

हम बिहार के युवा, नागरिक समाज, सामाजिक संगठन, सरकार के द्वारा किये गए कार्यों की सराहना करते हुए ये अपेक्षा करते है आने वाले समय मे भी बिहार सरकार वंचित एवं बहिष्कृत समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहेगी और समाज के सभी वर्गों के मध्य सामाजिक समता,समरसता एवं समावेश को सुनिश्चित करेगी एवं संविधानिक मूल्यों और बाबा साहब डॉ बी. आर. अम्बेडकर के सपनों का समाज बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करेगी और युवाओं द्वारा दी गयी इन मांगों एवं आकांक्षाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे जिससे की एक बेहतर और सशक्त बिहार का सपना साकार हो सकें I

जय भारत, जय संविधान, जय बिहार!

बिहार आंबेडकर विद्यार्थी मंच (BASF)
राज्य संयोजक

अजय रविदास, 9570874856

राष्ट्रीय युवा समता मंच (NYEF)
राष्ट्रीय संयोजक

सत्येन्द्र कु. सत्या, 8987107760